

महत्वपूर्ण सूचना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (निर्माण) आदेश 2001 के खण्ड 4 तथा अनुलग्नक के पैरा 2 के विन्दु 9 के अनुसार 'राशनकार्ड' पहचान के दस्तावेज हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यालय उपयोग हेतु
आवेदन क्रमांक
नया राशन कार्ड सं.

बीपीएल / राज्य बीपीएल / अन्त्योदय / अन्नपूर्णा / आस्था का नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र

फोटो आवेदक (मुखिया)
(सत्यापित करावे)
3.5 x 3 सेमी

मतदाता पहचान पत्र क्रमांक :
उचित मूल्य की दुकान का नाम :
पुराने राशन कार्ड का क्रमांक :
सामाजिक आर्थिक जाति जन. क्रमांक :

ग्राम व पोस्ट
जिला
PIN

स्थायी पता (यदि वर्तमान से भिन्न हो तो)
मोहल्ला
तहसील
राज्य

वर्तमान पता *
(लैण्डमार्क / मोहल्ला / कॉलोनी / डाणी)
PIN

आवास * : स्वयं का मकान किरायेदार अस्थायी बेघर
मौजूदा पते पर रहने की अवधि वर्ष माह

व्यवसाय * - नौकरी सरकारी नौकरी अन्य व्यापार
स्वनिर्भोजित मजदूरी खेती
सेवा निवृत्ति गृहणी
बेरोजगार अन्य

मोबाइल नं.
सम्पर्क दूरभाष नं.
(स्वयं का नहीं होने पर)

जीवन साथी का नाम
(केवल विवाहित सदस्य हेतु)
5

पिता का नाम*
4

माता का नाम*
3

नाम*
2

जन्म दिनांक*
7

मुखिया से संबंध*
8
स्वयं

लिंग*
M/F/Other
6

यूनिक आईडी क्रमांक (UID)
9

विकलांग
10

क्र. सं.	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नाम*											
माता का नाम*											
पिता का नाम*											
जीवन साथी का नाम (केवल विवाहित सदस्य हेतु)											
लिंग* M/F/Other											
जन्म दिनांक*											
मुखिया से संबंध*											
यूनिक आईडी क्रमांक (UID)											
विकलांग											

(नोट- * विहित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है)

